

उत्तर प्रदेश शासन
 नियुक्ति अनुभाग—4
 संख्या—3420 / दो—4—2010—32(1) / 05
 लखनऊ: दिनांक ०४ जनवरी, 2011

कार्यालय—ज्ञाप

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या—22 / पी.एस.(आर.जी.) / 2010 दिनांक 19.1.2010 द्वारा उ0 प्र0 उच्चतर सेवा नियमावली 1975 यथासंशोधित के नियम—18,20 एवं 21 के अन्तर्गत उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2009 के माध्यम से उच्चतर न्यायिक सेवा हेतु चयनित कुल 115 अधिकारियों, जिसमें से 81 पद श्रेष्ठता एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से तथा 'बार' से सीधी भर्ती के अन्तर्गत 34 अभ्यर्थियों की संस्तुति नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु शासन को उपलब्ध करायी गयी थी।

2— महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित संस्तुति में उ0 प्र0 राज्य में लागू आरक्षण नियमों एवं अन्य मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था, अतः प्राप्त विधिक राय के अनुसार उ0 प्र0 राज्य की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या—1867 / 2006 मलिक मजहर सुल्तान व अन्य बनाम उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग व अन्य में आई.ए. संख्या—83 / 2010 उ0 प्र0 राज्य सरकार बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद योजित की गयी। उक्त आई.ए. में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2010 के अनुपालन में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.1.2010 में संस्तुत विभागीय 81 न्यायिक अधिकारियों में से 76 अधिकारियों की उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति/तैनाती विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या—2371 / दो—4—2010—32(1) / 2005 दिनांक 4.9.2010 निर्गत किया गया।

3— उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2009 के माध्यम से सीधी भर्ती के अन्तर्गत उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में चयनित 34 अभ्यर्थियों के बारे में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आई.ए. संख्या—83 / 2010 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2010 द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देश दिये गये कि समस्त चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये जायें। साथ ही उक्त आदेश दिनांक 15.11.2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रश्नगत सीधी भर्ती के चयन में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने सम्बन्धी अन्य निर्देश भी दिये गये।

4— अतएव प्रश्नगत आई.ए. संख्या—83 / 2010 में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15.11.2010 के अनुपालन में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त संदर्भित अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 19.1.2010 द्वारा प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर

उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 यथा संशोधित के नियम-22 (1) एवं 22 (2) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार 'बार' से सीधी भर्ती के निम्नांकित अधिकारियों को प्रस्तर-2/3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के तहत उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1.	श्री आशीष गर्ग पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर सरूप गर्ग	डी-5 रामपुरम कालोनी, मेरठ रोड, जिला-मुजफ्फरनगर-उ0 प्र0 251001
2-	श्री सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री रूप नारायण	लाठी वाली पुलिया समीप जिला विवाह अधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड, जिला-हरदोई, उ0 प्र0 241001
3-	श्री अनुपम कुमार पुत्र श्री रविन्द्र कुमार	58ई/8ई सरकुलर रोड, गंगानगर, नेवादा, जिला-इलाहाबाद, उ0 प्र0-211001
4-	श्री प्रदीप कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम मनोहर सिंह	2/658 विकास नगर, जिला-लखनऊ, उ0प्र0-226022
5-	श्री नीरज कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द	ग्राम-मुराद खेड़ी, पो0-अम्बेहटा पीर, जिला-सहारनपुर, उ0 प्र0-247340
6-	श्री रणन्जय कुमार वर्मा पुत्र श्री राम अक्षयवर वर्मा	14/1190 इन्द्रानगर, जिला-लखनऊ, उ0 प्र0-226016
7-	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कृपाल सिंह	ग्रा0-दौलतपुर, टिगरी, पो0-अलियाबाद, जिला-मुरादाबाद, उ0 प्र0-244401

5— उपरोक्तानुसार नियुक्ति सिविल अपील संख्या—1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान व अन्य बनाम उ० प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में योजित आई.ए. संख्या—83/2010 उ० प्र० राज्य सरकार बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं आई. संख्या—84/2010 में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

6— उपरोक्त आई.ए. संख्या—83/2010 में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2010 एवं 15.11.2010 के अनुपालन में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 19.1.2010 द्वारा संस्तुत प्रोन्नति कोटे/सीधी भर्ती के उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त बैच 2009 के अन्तर्गत आरक्षण कोटा पूर्ण होने के संदर्भ में किये जाने वाले चयन से नियुक्त होने वाले अधिकारियों की पारस्परिक श्रेष्ठता मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 यथासंशोधित के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

श्री राज्यपाल की आङ्गा से
(नेत राम)
प्रमुख सचिव

संख्या—3420(1) / दो—4—2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ० प्र० इलाहाबाद को उ० प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।

विशेष वाहक द्वारा

2— महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या—22/पी.एस.(आर.जी.) दिनांक 19.1.2010 के संदर्भ में इस विज्ञप्ति की 07 अतिरिक्त प्रति, सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त अभ्यर्थियों के विषय में चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में, इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा० न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल प्रेषित की जाय।

3— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ० प्र० शासन।

4— प्रमुख सचिव मा० मुख्य मंत्री जी उ० प्र० शासन।

- 5— प्रमुख सचिव, न्याय, विधायी एवं विधि परामर्शी उ० प्र० शासन।
 6— प्रमुख सचिव संसदीय कार्य, उ० प्र० शासन।
 7— महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।
 8— संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
 9— निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ० प्र० गोमती नगर लखनऊ।
 10— श्री कमलेन्द्र मिश्रा, ए.ओ.आर. मा० उच्चतम न्यायालय, बी.-23 सागर अपार्टमेन्ट-6 तिलक मार्ग, नई दिल्ली।
 11— न्याय (उच्च न्यायालय) अनुभाग / न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग।

रजिस्टर्ड

- 12— सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबंधक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं तो उसकी लिखित सूचना महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा संयुक्त सचिव नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान उ० प्र० लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी जब तक उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं वह तब तक अस्थाई कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74नियुक्ति-3 दिनांक 11.6.75 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- 13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(योगेश्वर राम मिश्र)
संयुक्त सचिव।

12/10

सर्विस के लिए किसी उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे में

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में इण्डियन सिविल को छोड़कर भारतीय प्रान्तीय नौकरियों में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य परीक्षा सम्बन्धी नियमविधान (रेग्युलेशन)

1. उत्तर प्रदेश सरकार अन्तर्गत किसी नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार को योग्य घोषित करने के निमित्त यह आवश्यक है कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से रहित हो, जिसके कारण उसे अपने पद के कर्तव्यों को सुचारू रूप से पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. यूरोपीय जाति के उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा करने के लिए आयु कद और छाती की चौड़ाई का पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित करने में, निम्नलिखित तालिका उदाहरण स्वरूप उपयोग में लानी चाहिए। यह भारतीय मिश्रित जातियों के सम्बन्ध में उपयोग में नहीं लायी जायेगी।

शारीरिक अनुरूपता

पिछली वर्षगांठ को आयु	जूता उत्तर के लम्बाई	छाती की चौड़ाई पूरी फुलाने पर	फुलाने पर छाती का विस्तार निम्नलिखित से कम न हो
1	2	3	4
16	60 और 62 इन्चों से कम	32-1/2	इन्च
	62 और 65 इन्चों से कम	33-1/2	2
	65 और 68 इन्चों से कम	33-1/2	2
	68 और 72 इन्चों से कम	34	2
	72 और इससे अधिक	34-1/2	2
	65 और 68 इन्चों से कम	33-1/2	2
17	62 और 65 और इससे अधिक	33-1/2	2
	65 और 68 और इससे अधिक	33-1/2	2
	68 और 72 और इससे अधिक	34-1/2	2
	72 और इससे अधिक	35-1/2	2
18	62 और 65 इन्चों से कम	34	2
	65 और 68 इन्चों से कम	34-1/2	2
	68 और 72 इन्चों से कम	35	2
	72 और इससे अधिक	35-1/2	2
19	62 और 65 इन्चों से कम	34	2
	65 और 68 इन्चों से कम	34-1/2	2
	68 और 70 इन्चों से कम	34	2
	70 और 72 इन्चों से कम	35-1/2	2
	72 और इससे अधिक	36	2
20	62-1/2 और 65 इन्चों से कम	34-1/2	2
	65 और 68 इन्चों से कम	34-1/2	2
	68 और 70 इन्चों से कम	35	2
	70 और 72 इन्चों से कम	35-1/2	2
	72 और इससे अधिक	36	2
21	62-1/2 और 65 इन्चों से कम	34-1/2	2
	65 और 68 इन्चों से कम	35	2
	68 और 70 इन्चों से कम	35-1/2	2
	70 और 72 इन्चों से कम	36	2
	72 और इससे अधिक	36-1/2	2

3. उम्मीदवार की लम्बाई इसे प्रकार नापी जायेगी। वह अपने जूते उतारेगा और मापदण्ड (Standard) के सामने अपने दोनों पैर मिलाकर तथा एडियों के बल खड़ा होगा, नं कि अंगूठों या पैर में बाहर की ओर देकर खड़ा होगा। वह स्वाभाविक रूप से सीधा खड़ा होगा और एडियां, पिडलियां, चूतड़ और कंधे मापदण्ड को स्पर्श करें ठड़-डी को इस प्रकार नीचे किया जायेगा कि सिर के धरातल का सबसे ऊँचा भाग मापदण्ड के हारिजटल-बार के नीचे लगा रहे और नं 0 को माप इन्व्यों में और इन्व्य के छौथाई भाग में लिखी जायेगी। इण्डियन पुलिस फोर्स के लिए कम से कम 5 फुट 4 इन्व्य की लम्बाई आवश्यक है, लेकिन अन्य विभागों में लम्बाई की कोई निर्धारित सीमा नहीं रखी गई है।

4. उम्मीदवार की छाती इस प्रकार नापी जायेगी। वह पाँव को मिलाकर अपने सिर के ऊपर दोनों बाहों को उठाकर सीधा खड़ा किया जायेगा फीता उसकी छाती के चारों ओर इस प्रकार रखा जायेगा कि उसका ऊपरी सिर कन्धे की हड्डी के पीछे की ओर के निम्न कोणों को और उसका नीचे का सिरा सामने स्तनों की ढपेनी (Nipples) के ऊपरी भागों को छूता रहे। तब बाँहें नीचे की जायेंगी ताकि वे ढीले रूप में बगल की ओर लटकी रहें और इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कन्धे ऊपर या नीचे की ओर न किये जाये, जिससे फीता अपनी जगह से इंधरे उधर न हो। इसके बाद उम्मीदवार को कई बार गहरी साँस लेने के लिए आदेश किया जायेगा और सीने का अधिक से अधिक विस्तार सावधानी से लिखा जायेगा, कम से कम और अधिक से माप इन्व्यों में लिखी जायेगी। 33-35, 34-36-1/2 नापों को लिखने में 1/2 इन्व्य से कम भाग छोड़ देना चाहिए।

5. उम्मीदवार की तौल भी ली जायेगी और वेजन पाउन्डों में लिखा जायेगा। एक पाउन्ड से कम भाग नहीं लिखा जायेगा।

6. नोट :- रेलवे कर्मचारियों और सायल इन्डियन मेरीन के चालाके (Pilot) के लिए विशेष नियम लागू हैं।

(क) दृष्टि की तीव्रता को जानने के लिए परीक्षा में 2 प्रकार की जाँच सम्प्रिलित हैं— एक दूर दृष्टि के लिए और दूसरी निकट दृष्टि के लिए दूर दृष्टि के लिए स्नेलन जाँच-विधियाँ प्रयोग में लायी जायेंगी, जो बिना ऐनक पहने हुए 20 फिट की दूरी से होगी, जो उम्मीदवार द्वारा चुनी जाय।

दृष्टि की न्यूनतम सूक्ष्मता के मापदण्ड— जो किसी उम्मीदवार की परीक्षा के लिए पथ प्रदर्शन के निमित्त प्रयोग में लाये जायेंगे निम्नलिखित हैं:-

मापदण्ड (Standard)

दाई आँख

दूर दृष्टि-बी = 6/6

निकट दृष्टि-पढ़ने में 0.6

बाई आँख

बी=6/6

पढ़ने में 0.6

मापदण्ड (Standard) 2

अच्छी आँख

दूर दृष्टि बी=6/6

खराब आँख

बी0 बिना ऐनक पहने हुये 2=6/60

से कम नहीं और ऐनक पहन कर ठीक होने के बाद 6/24 से कम नहीं।

मापदण्ड (Standard) 3

निकट दृष्टि-पढ़ने में 0.6

अच्छी आँख

दूर दृष्टि-की बिना ऐनक के

=6/24 और ऐनक पहन कर

दृष्टि ठीक करने पर 6/6 से कम नहीं।

निकट दृष्टि पढ़ने में 0.8

पढ़ने में 1

खराब आँख

बी0 बिना ऐनक के=6/24 से कम न हो

ऐनक पहन कर दृष्टि ठीक करने 6/12

से कम न हो। पढ़ने में 1

भारतीय और प्रान्तीय पुलिस सर्विसों को छोड़कर अन्य सर्विसों के लिए मापदण्ड (Standard)

अस्थाई रूप से घटाकर 6/60 कर दिया गया है।

- (क) प्रत्येक आँख के लिए यह आवश्यक है कि हाथ को हिला डुला के जाँच करने में दृष्टि-क्षेत्र में पूरा-पूरा हो।
- (ख) टेढ़ी दृष्टि या आँखों के या किसी आँख के पलकों की इस प्रकार व्याधि-ग्रस्त होने से जिससे आँख की बीमारी बढ़ जाने या फिर से पैदा होने की संभावना हो उम्मीदवार नहीं लिया जायेगा।
- (ग) हर आँख की जाँच अलग-अलग की जायेगी और जाँच के समय पलकें बिल्कुल खुली रहनी चाहिए।
- (घ) प्रमुख रोगी की पहचान की असमर्थता, अस्वीकृत होने के कारण नहीं होगी, लेकिन यह बात कार्यवाहियों में लिख दी जायगी और उम्मीदवार को उसकी सूचना दी जायेगी।
- (च) नौकरी के सब उम्मीदवारों की दृष्टि-सूक्ष्मता की इमाप-निम्नलिखित विधि से कार्यवाहियों के रजिस्टर में लिखी जायेगी—

दृष्टि दाई ऐनक पहिन कर पढ़ने पर

दृष्टि बाई ऐनक पहिन कर पढ़ने पर

(गम्भीर असाधारणता की दशाओं में चक्षु विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए)

7. पेशाब (परीक्षक के सामने की गई) की जाँच की जानी चाहिए और परिणाम लिख लिया जाना चाहिए।
8. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए।
- (क) कि उम्मीदवार के प्रत्येक कान की श्रवण शक्ति अच्छी है और कोई कान की बीमारी का चिन्ह नहीं है।
- (ख) उसकी बोलचाल में कोई रुकावट नहीं है।
- (ग) उसके दाँत अच्छी हालत में हैं जहाँ की आवश्यक हो अच्छी तरह चबाने के लिए उतने दण्ड-पंकित लगा की। (समुचित रूप से भरे हुए दाँत अच्छे समझे जायेंगे।)
- (घ) उसकी छाती का गठन अच्छा है और उसकी छाती का फैलाव पर्याप्त है तथा उसके दिल और फुसफुस अच्छी अवस्था में है।
- (ड) उसमें पेट की बीमारी के कोई लक्षण नहीं है।
- (च) उसका शरीर विदौर्ण नहीं है।
- (छ) उसे अण्ड वृद्धि, अत्यधिक मात्रा में अण्ड-कोष की नसों की सूजन और नसों का फूल आना या बवासीर नहीं है।
- (ज) उसके अंग हाथ और पैर अच्छे ढंग से देखे हैं और सुगठित है तथा उसके सम्पूर्ण जोड़ों की क्रियायें स्वच्छ और पूर्ण रूप से होती हैं।
- (झ) उसे किसी प्रकार का पुराना चर्म रोग नहीं है।
- (ट) उसके शरीर में कोई पैदाइशी अंग-विकृति या दोष नहीं है।
- (ठ) उसमें कोई नई या पुरानी बीमारी के चिन्ह जो उसकी शारीरिक निर्बलता के सूचक हो नहीं है।
- (ड) उसके सफल टीके के चिन्ह विद्यमान हैं।

जब कोई दोष पाया जाय प्रमाण-पत्र पर उसका उल्लेख अवश्य कर देना चाहिए और स्वास्थ्य परीक्षक को अपनी अनुमति देना चाहिए कि इसके कारण उस कार्य को सुचारा रूप से सम्पादन करने में, जो उम्मीदवार को करना पड़ेगा, कोई बाधा पड़ने की सम्भावना है कि नहीं। यदि उसकी अवस्था आपरेशन करने से सुधर सकती हो, तो उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

(4)

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में घोषणा का कार्य जिसे वे उम्मीदवार भरेंगे जिनकी जाँच

मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाय

मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार द्वारा विवरण उम्मीदवार को अपनी मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच होने से पहले निम्नलिखित विवरण अवश्य देना होगा और बोर्ड के सामने इसके साथ नथी किये हुये घोषणा—पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे?

1. अपना पूरा नाम लिखिये (बड़े और स्पष्ट अक्षरों में) **रणजित कुमार वर्मा**
2. जन्म स्थान लिखिये **अमृतवेल करनगर (झरूप्रदेश)**
3. अपनी आयु और जन्म की तारीख लिखिये **10-12-1972, नगरगण ३४ वर्ष**
4. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दीजिए:-

पिता की आयु, यदि जीवित हैं और उनके स्वास्थ्य की हालत	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	भाइयों की संख्या, जो जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की हालत	भाइयों की संख्या, जिनकी मृत्यु हो गयी हो, उनकी मृत्यु के समय आयु और मृत्यु का कारण
--	---	--	--

रुग्णगां ७५ वर्ष छीक		तीन ४४ वर्ष, ४१ वर्ष, ३५ वर्ष	
---------------------------------	--	--	--

माता की आयु, यदि जीवित हैं और उनके स्वास्थ्य की हालत	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	बहिनों की संख्या, जो जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की हालत	बहिनों की संख्या जिनकी मृत्यु हो गयी है, उनकी मृत्यु के समय आयु और मृत्यु का कारण
---	--	---	--

रुग्णगा ७०वर्ष छीक		दो ४९ वर्ष, ४७ वर्ष	
-------------------------------	--	------------------------------------	--

5. क्या आपके कोई निकट सम्बन्धी क्षय रोग (यक्षमा, गान्डमाला, कर्कट, दमा, चक्कर आना, मृगी, उन्माद और किसी अन्य प्रकार के रोग) से पीड़ित रहे?
6. क्या आप कभी विदेश गये? कहाँ, कितनी अवधि के लिए कितने समय पूर्व?
7. क्या आपने कभी नौ सेना, थल सेना, वायु सेना या किसी सरकारी विभाग में नौकरी की है?
8. क्या कभी आपके स्वास्थ्य की परीक्षा (क) जीवन बीमा के लिये या और (ख) राज्य की किसी सरकारी मेडिकल अफसर, सिविल या मिलेट्री बोर्ड द्वारा हुई है? यदि हुई है तो उसका विवरण और परिणाम दीजिये।

नहीं	नहीं
नहीं	नहीं
नहीं	नहीं

ह० अम्यर्थी

Ranujay Kumar Verma

6. क्या कभी ये रोग हुये—
 (क) चेचक विषम या कोई ज्वर, गिलियों में वृद्धि या पक जाना, थूक के साथ—साथ खून आना, दमा फेफड़ों की सूजन, फेफड़े में पानी भरना, दिल की बीमारी, मूर्छा लाने वाले चक्करों का आना, गठिया, उपात्रशीथ, मृगी, उन्माद या अन्य स्नायु सम्बन्धी रोग, कान का बहना या कोई और कान की बीमारी, सुजाक, उपदेश या।
- (ख) कोई अन्य प्रकार का रोग जिसके कारण बिस्तर पर पड़े रहने औषधि अथवा चीरफाड़ द्वारा उपचार की आवश्यकता है, या
- (ग) चीरफाड़ द्वारा किसी प्रकार का उपचार हुआ।
- (घ) क्या आपको किसी ऐसी बीमारी, घाव या चोट से पीड़ित रहे, जो आपके इस समय हुई या पहुँची, जबकि आप 1914 ई० को आरम्भ होने वाले युद्ध में श्रीमान सम्राट सेनाओं में थे?
10. क्या आपका शरीर विदीर्ण है?
11. क्या आपको अण्ड वृद्धि, अण्ड-कोष की नसों की सूजन और नसों का फूल आना और बवासीर का रोग है?
12. क्या आपकी प्रत्येक आँख की दृष्टि अच्छी है? (जो उम्मीदवार ऐनक पहनते हों उनसे प्रार्थना है कि वे उनके नुसखे या ऐनक अपने साथ लायें)
13. क्या आपके प्रत्येक कान की श्रवण शक्ति अच्छी है?
14. क्या आपको कोई स्वाभाविक रूप से उत्पन्न या बाद में पैदा हुई अंग विकृति, दोष या कुरुक्षता है?
15. आपको पिछली बार टीका कब लगा था?
16. क्या आपके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात और है, जो उपयुक्त प्रश्नों में न आई हो और जो मेडिकल बोर्ड को सूचित कर देनी चाहिये?

(6)

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

(मेडिकल बोर्ड के सामने हस्ताक्षर किये जाने चाहिए)

मैं यह घोषित करता हूँ कि उपयुक्त सम्पूर्ण उत्तर मेरे पूर्ण विश्वास के साथ सत्य और सही हैं।

मैं मेडिकल बोर्ड को पूर्ण रूप से उन सब परिस्थितियों को प्रकट करूँगा जिनका मुझे ज्ञान है और जिसका सम्बन्ध मेरे रखारथ्य और उपयुक्त से उस नियुक्ति के लिए है जिसका मैं उम्मीदवार हूँ।

मुझे इसका पूरा ज्ञान है कि किसी सूचना को इच्छा पूर्वक छिपाने पर मैं नियुक्ति न किये जाने या नियुक्ति किये जाने पर उससे हाथ धोने का खतरा उठाऊँगा।

Ramnijay Kumar Verma

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

Ramnijay Kumar Verma

तारीख 01-12-2010

अध्यक्ष राज्य चेयरमैन रेप्रेसेंटेटिव उम्प्रैवे

चेयरमैन, मेडिकल बोर्ड।

प्रिमियम, राज्य चेयरमैन, उम्प्रैवे
लखनऊ

request - 139

अ.उमा/दो-4-10-32-(1)/2005 (7)
 सन्दर्भ संख्या अभ्यार्थी का नाम रामेश्वर कुमार वर्मा
 परीक्षण तिथि ०१-१२-२०१०

नियुक्ति अंकांग - 4

विभाग नियुक्ति पदनाम उमा एवं लक्ष्मी रेखा
 हस्ताक्षर अभ्यार्थी Ramayaj Kumar
 Verna

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

प्रश्न	उत्तर	(टिप्पणी)
1.	Height..... 160 cm Weight..... 76 K.g.	104 cm 98 cm
2.	Chest After full inspiration..... After full expiration.....	yes
3.	W	W
4.	W	W
5.	W	W
6.	W	W
7.	Can read only 2 ten slides Yes	Can read only 2 ten slides Yes
8.	Can read one 2 ten slides Yes	Can read one 2 ten slides Yes
9.	W	W
10.	W	W
11.	W	W
12.	Yes	W
13.	W	W
14.	W	W
15.	W	W
16.	W	W
17.	W	W
18.	W	W
19.	W	W
20.	W	W

तारीख

पर्याप्त, ०१-१२-२०१० परिषद, उमा

एवं विषय, राज्य विधिव्यापार परिषद, उमा

एवं विधिव्यापार विधिकारी

षट्ठिएवं वर्ष, उमा

एवं विधिव्यापार विधिकारी

मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर

मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर

स्थिरांशु एवं लेखन उमा

लेखन उमा

D - A

request - 139

**CHECK LIST FOR SCRUTINY OF APPLICATION FORMS OF
U.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE EXAMINATION, 2009**

Sl. No.	Particulars	Put (✓) for Yes and (✗) for No
1.	Is the age of candidate between 35 to 45 years i.e. from 01.01.1965 to 02.01.1975?(Refer Col. No.3(i))	✓
2.	Nationality of the candidate. (Refer Col. No. 4)	✓
3.	Is the candidate claiming reservation?(Refer Col. No.7)	✓
4.	Does the candidate have 07 years standing as Advocate on 01.01.2010?(Refer Col. No.14)	✓
5.	Was the Enrolment Certificate ever suspended?(Refer Col. No.15(i))	✗
6.	Did the candidate ever figure as an accused? (Refer Col. No.16)	✗
7.	Was the candidate ever convicted of any offence?(Refer Col. No.17)	✗
8.	Has the candidate enclosed D.D towards examination fee?(Refer Col. No.23)	✓
9.	Has the candidate filled and signed the declaration and verification card?	✓
10.	Has the application form and verification card been duly forwarded by the competent authority?	✓
11.	Has the candidate enclosed attested copies of following?	✓
i.	High School and other academic certificates.	✓
ii.	Certificates of character	✓
iii.	Certificate of Enrolment as an Advocate	✓
iv.	Certificate of standing as an Advocate	✓
v.	Certificate of caste in case of candidates claiming reservation.	✓

FORM NO.: 3173CONTROL NO.: 5517Application Form ACCEPTEDChecked by: *M. Madale*Application Form REJECTED on the ground:**SIGNATURE**

request-139

C N - 5517

Nehalay

Joint Registrar
High Court,
Allahabad.

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION FORM FOR
DIRECT RECRUITMENT TO THE UTTAR PRADESH HIGHER JUDICIAL SERVICE -2009

For office use only (Not to be filled by the Candidates)

Serial No.: 3173

Roll No.: 5046

Name of Centre: **PROVISIONAL**

(To be filled up in CAPITAL LETTERS by the candidate in his/her own handwriting in accordance with the "Instructions for the guidance of the candidates". Candidates are warned that any inaccuracy in the information furnished will lead to disqualification.)

ISHWAR SARAN
DEGREE COLLEGE
BALURI, ALLAHABAD

1.	Full Name	RANANJAY KUMAR VERMA
2.	Father / Husband's Name:	RAM AKASHAYAVER VERMA
3.	Date of Birth(As recorded in Matriculation Certificate)	10-12-1972
3(i)	Age (as on 01.01.2010)	37 Years 00 Months 21 Days
4.	Nationality	INDIAN
5.	Sex (Male/ Female)	MALE
6.	Marital status (Married/ Unmarried/Divorcee/ Widow/ Widower	MARRIED
7.	Category: (General/S.C./S.T./OBC)	OBC
8.	Permanent Address:	VILLAGE-(BUDHNAPUR) MOTIGARPUR, POST- BASKHARI, DISTRICT-AMBEDKAR NAGAR UTTAR PRADESH PIN: 224129
9.	Address for correspondence	14/1190, IINDIRA NAGAR, LUCKNOW, UTTAR PRADESH PIN: 226016
10.	Contact Numbers	(i) E-mail ID : _____ (ii) Mobile: 9415721949 (iii) Land Line(with STD code): _____

11. Academic Qualifications:

Sl. No.	Name of Examination	Year	Percentage of Marks	Name of Board/University
1	High School	1987	64	U.P. BOARD
2	Intermediate	1989	57.4	U.P. BOARD
3	Graduation	1992	57.55	ALLAHABAD UNIVERSITY
4	Post Graduation	X	X	X
5	LL.B.	1995	52.41	LUCKNOW UNIVERSITY
6	LL.M.	X	X	X
7	(Other academic qualifications, if any)	X	X	X

12.	Have you ever been employed? If yes :- (i) Name of the post or nature of employment; (ii) Name of employer; (iii) Date of joining; (iv) Date of termination; (v) Reason for termination (vi) Salary;	Yes/No (strike out the part not applicable) NO
13.	Enrolment as an Advocate Name of the Bar Council	Enrolment No. <u>1127/96</u> Date: <u>15-02-1996</u> <u>BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH</u>
14.	Standing as an Advocate as on 01.01.2010	<u>13</u> Years <u>10</u> Months <u>16</u> days
15.	Whether any proceeding was ever initiated against you for professional misconduct or Contempt of Court? If so, give particulars with result and also enclose certified copy of order/judgment passed in the proceeding by the State Bar Council/Bar Council of India/ High Court and Supreme Court of India, if any.	NO
15(i)	Was your Enrolment Certificate ever suspended? If yes, give complete particulars	NO
16.	Did you ever figure as an accused or a complainant in any criminal case? If so, give particulars with result and also enclose certified copies of judgment/order of the Trial/ Appellate/ Revisional Court, if any.	NO
17.	Whether you have ever been convicted of any offence ? If so, give full particulars.	NO
18.	Do you possess thorough knowledge of Hindi (Devnagri script)?	YES
18(i)	Are you proficient in English?	YES
19.	Name of District Judge/ Registrar/Registrar General of the High Court who has issued Character Certificate.	MR. S.V.S. RATHORE, H.J.S. HIGH COURT, LUCKNOW BENCH
20.	Full name, profession and address of two responsible persons (not related) who have issued Character Certificates	(i)- RAM SHANKAR CHAUDHARY, [GOVERNMENT EMPLOYEE], 9/752, INDIRA NAGAR, LUCKNOW. (ii)- S HATRUGHAN CHAUDHARY, [ADVOCACY-STANDING COUNSEL], 14/775, INDIRA NAGAR, LUCKNOW.

21.	Have you ever appeared in U.P. H.J.S. Examination? Have you ever been debarred from examination? If so, give details.	NO
22.	Are you an Income Tax Assessee? If yes, give your PAN No.:	NO
23.	Particulars of payment of Examination fee:	Amount Rs. 750/- D.D. No.: 330785....., Date...11-05-2009 Name & Branch of issuing Bank..S.B.I., H.I.M.H. COURT (LUCKNOW)

DECLARATION

Verified on this 13 day of 05 - 2009 at LUCKNOW that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being detected at any stage, action may be taken against me by the High Court of Judicature at Allahabad and I may be disqualified/dismissed.

I further verify and state that I have not been dismissed from any service by any High Court, Government, Statuary authority or local authority in the past and that I have neither been convicted of any offence under the law of the land nor have been bound down for good conduct under any of the provisions contained in Chapter VIII of Criminal Procedure Code nor have been permanently debarred/disqualified from appearing in any examination.

I, further verify that I have never been found guilty of professional misconduct under the provisions of the Advocate Act, 1961 or any other law.

I further declare that I do not have more than one living wife/husband (score off whichever is not applicable).

I also declare that I am not a discharged insolvent. I shall not directly or indirectly influence the selection process in any manner.

I have read the provisions of U.P. Higher Judicial Service Rules, 1975 (as amended up to date) and instructions of the High Court attached with this form carefully and I undertake to abide by them.

I further declare that I fulfil all the conditions of eligibility regarding age limits, educational qualifications, reservation, experience etc. prescribed for the admission to the examination. I agree with the condition that the decision of the Selection & Appointment Committee regarding eligibility or otherwise or the candidature for admission to the examination shall be final.

Application form incomplete in any respect shall stand rejected without any information to the candidate.

Place : ..LUCKNOW.....

Ramanyj Kumar Verma

(Full signature of the candidate)

Date: 13-05-2009

The endorsement below must be filled and signed by the District & Sessions Judge of U.P./Registrar General/Registrar (where there is no post of Registrar General) of the High Court concerned/Registrar General, Allahabad High Court/Registrar, Lucknow Bench, Lucknow.

Presented to me on 13/05/09

Signature

Name & designation

(official seal) PS. V. S RATHORE

REGISTRAR
HIGH COURT
LUCKNOW BENCH LUCKNOW



हाई स्कूल परीक्षा, १९८७

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् के अभिलेखानुसार

RANANJAY KUMAR VERMA

आत्मज्ञ श्री RAM AKASHAYAVER VERMA

ने जिनकी जन्मतिथि

10TH DECEMBER NINETEEN HUNDRED SEVENTY TWO

10.12.72

है, मार्च/अप्रैल, १९८७ की हाईस्कूल परीक्षा निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तीर्ण की है:—

विषय:—

1 HINDI	2 ENGLISH	3 MATHEMATICS TWO
4 SCIENCE-TWO	5 SOCIAL SCIENCE	6 BIOLOGY

CATEGORY OF MORAL EDUCATION-B

उत्तीर्ण श्रेणी FIRST

विद्यालय/केन्द्र K P HINDU INTER COLLEGE PRATAPGARH

पं. क्रमांक 2700173

इलाहाबाद,

दिनांक 22ND JUNE, 1987

महानन्द मिश्र
(महानन्द मिश्र)
सचिव

'O' का अर्थ सम्मिलित विषय में 'विशेष योग्यता' है।

'HONOURS' का अर्थ "सम्मान सहित उत्तीर्ण" है।

टीप:—विषय का पूर्ण विवरण पृष्ठ भाग पर आकित है।

Attested

11.5.09
अधिकारी
बहुनऊ

request-139

द्वितीय प्राप्तांक-पत्र
हाई स्कूल परीक्षा, १६ दि८

₹० ड० 149

साध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
(बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इन्सरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश)

संख्या प्र० हा०

दिनांक

५२८३१०

वी २०१३ स. क्रमांक २५
बनुकमांक
हाई स्कूल मुख्य पूरक/आद्योगिक (ट्रिनिकल/परीक्षा, 1987) में विभिन्न विषयों में विस्तृत विवरण

अंक प्राप्त किये :—

विषयों के नाम	प्रथम प्रसन-पत्र	द्वितीय प्रसन-पत्र	तृतीय प्रसन-पत्र	चतुर्थ प्रसन-पत्र	योग	प्रयोगालक	योग	पूर्णांक
१— रेट्टि	२४	२३	२९				६३	१००
२— अंग्रेजी	३२	३०					६२	१००
३— गणित	२८	२५					५१	१००
४— विज्ञान	२३	२३			२०		६६	१००
५— हिन्दी	३४	३३					६६	१००
६— अंग्रेजी	२२	२४			१६		६२	१००
७—								

सम्पूर्ण योग (बंकों तथा घट्ठों में) ३२४।९०० तीन से चार सौ अंक
परीक्षाकल प्रथम अंकों के ३ तीक

टिप्पणी—विषय के बंकों तथा सम्पूर्ण योग में जिसमें परीक्षार्थी असफल है, चक्र ढाना है।

सहायक सचिव, २१०
सार्वजनिक सचिव
मानविकी विज्ञान परिषद् व वैद्यनीकीय कार्यालय,
काशीनगर काशीवारा विद्यालय, राजस्थान

५१०८६
७-८-९६

Attested

11.5.99
अभियोगन अधिकारी
लखनऊ

request-139

0579456

अनुमति



इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९८९

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् के अभियोग्यानुसार

RANAJAY KUMAR VERMA

आत्मज. श्री RAM AKASHAYBER VERMA वे आचार्य अंग्रेज़, १९८९ की
इण्टरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित विषय के अनुसार उत्तीर्ण की है:

1. GENERAL HINDI

2. ENGLISH

3. MATHEMATICS

4. PHYSICS

5. CHEMISTRY

उत्तीर्ण श्रेणी

SECOND

विद्यालय/केन्द्र K.P. HINDU INTER COLLEGE PRATAPGARH

प्रमाण पत्र क्रमांक

इलाहाबाद

दिनांक

P01572

REGULAR

31/05/1989

42/029/00599

'D' की अर्थ सम्बन्धित विषय की "विशेष योग्यता" है।

"HONOURS" का अर्थ "सम्मान च्छित्र उत्तीर्ण" है।

टॉप - विषय का पूर्ण विवरण पूर्ण प्राप्त प्राप्त अंकित है।

महानगर पालिका

सचिव

Attested

11.5.09

अभियोग्य अधिकारी

लखनऊ

इन्टरमीडिएट परीक्षा - अंक रत्न
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, द्वारा संचालित १९८९ की इन्टरमीडिएट परीक्षा में
निम्नलिखित परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण :-

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम वर्ग क्रमांक
334044 RAN ANJAY KUMAR VERMA BI P01011
विद्यालय/केन्द्र का नाम परीक्षा प्रवर्ग, संस्था/व्यक्ति
K P HINDU INTER COLLEGE PRATAPGARH FULL EXAM REGULAR

विषय	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	प्रश्न-पत्रवार प्राप्तांक	योग	मूल	सम्पूर्ण योग एवं परीक्षाफल
GENERAL HINDI	100	33	1/20 2/23 3/16	59		287/500
ENGLISH	100	33	1/27 2/25	52		PASSED
MATHEMATICS	100	33	1/12 2/19 3/20	51		SECOND DIV
PHYSICS	100	33	1/22 2/16 038 P/29	67		
CHEMISTRY	100	33	1/16 2/17 033 P/25	58		

जांचकर्ता के हस्ताक्षर १०.०७.८९ प्रधानाचार्य
दिनांक ७.६.८९ के हस्ताक्षर } मुहर
नोट-अकाउंट क. सचिव ऐडे सहित है।


प्रधानाचार्य

⇒ केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड
भारत १३० अम.

Attested

11.5.89
अधिकारी
बहनऊ

request-139



Bachelor of Arts

Enrolment No. U8921770

Roll No. 101024

This is to certify that Rananjai Kumar Verma
Son/Daughter of Sri/Smt. R. A. Verma
of University of Allahabad
obtained the degree of Bachelor of Arts in this University
in the Examination of 1992; and that he/she was placed
in the Second class.

The subjects in which he/she was examined were:

B. A. PART I and B. A. PART II

1. English Literature
2. Philosophy
3. Political Science

B. A. PART III

1. Philosophy
2. Political Science

University of Allahabad:

The 23rd Feb; 1997

Attested

W. A. S.
Vice-Chancellor.

11-5-09
अभियोजन अधिकारी
दूर्घनऊ

Request - 139

*** UNIVERSITY OF ALLAHABAD ***

Statement of Marks of B.A. Part III Examination, 1992
(Regular Candidate of Three Year Degree Course)

Name : RANANJAI KUMAR VERMA Father's Name : RAVVERMA

Roll No : 101024 Enrol No : U8921770

Subject 1st 2nd 3rd 4th V/V Total Pract. Total 1st 2nd ST GM

Theory 45 50 42 137 P 137 P 137 P 137 P 137 P

Philosophy 45 50 42 137 P 137 P 137 P 137 P 137 P

Political Sc. 34 31 39 104 P 104 P 104 P 104 P 104 P

Part I : 239/450 Part II : 297/450 Part III : 241/450

Grand Total : 777/1350

To pass, a candidate must obtain a minimum of 33% marks in theory as well as in practical of each subject separately.

Division : First 310, Second 608, Third 450.

October 06, 1992

For _____

Allahabad University

Attested

115-09

अभियोजन अधिकारी

लखनऊ

मैसूरु विश्वविद्यालय



मा॒ त्री॑ रणंजय कुमार वर्मा

इस विश्वविद्यालय के विधि संकाय में वैचलर और लौज़र की उपाधि हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया और निम्नलिखित विषयों की अपेक्षित परीक्षा में सन् १९६८ में फ़िताय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए/हुई।

- (1) इण्डियन लीगल एण्ड कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री (2) लॉ ऑव कॉण्ट्रैक्ट्स (3) लॉ ऑव टॉर्ट्स
- (4) इण्टरनेशनल लॉ (5) कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ ऑव इण्डिया (6) पार्टनरशिप निगोशियेशन इन्स्ट्रुमेण्ट्स ऐण्ड सेल ऑव गुड्स (7) लीगल थोरी ऐण्ड कम्परेटिव लॉ (8) हिन्दू लॉ (9) कम्पनी लॉ (10) मोहम्मदन लॉ (11) द्रान्सफर ऑव प्राप्टी ऐक्ट ऐण्ड इंज़िमेण्ट्स (12) लॉ ऑव क्राइम्स (13) सिविल प्रोसीजर कोर्ट रूल्स, स्लीडिंग्स, कन्वेयन्सिंग ऐण्ड लिमिटेशन (14) लीगल रेमिडीज़ (15) लॉ ऑव एविडेन्स ऐण्ड क्रिमिनल प्रोसीजर (16) लैण्ड लॉ इन यू.पी. (17) लेबर लॉज़ अथवा लॉ ऑव डैक्सेशन अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव स्मै अथवा प्रावेन्ट हायकोर्ट लॉ।

मा॒ त्री॑ प्रमाणित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें वैचलर और लौज़र की उपाधि प्रदान की गयी।

Affected

कुलपति

लखनऊ

दिनांक

१५.१२.६८

१५.१२.६८

अभियोगन क्रमांक

बहुमत

७ जनवरी १९६९



प्रमाणित किया जाता है कि रणजय कुमार वसी
ने इस विश्वविद्यालय की एल० एल० बी० फाइनल
परीक्षा सन् १९८५ में उत्तीर्ण की तथा
उपर्युक्त सन् में ही रॉडमिनिस्ट्रिवल्स के
अतिरिक्त प्रश्न-पत्र में भी उत्तीर्ण हुए/हुई।


कुलदीप चौहान

दिनांक १४ मार्च, १९८६

१९८६

अधिकारी अधिकारी

request - 139

5238

Roll No. 3870645

3277

Written by 28

Checked by 1

2

AR (E)/DR (E)



ऐडवोकेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र

ऐडवोकेट्स अधिनियम, १९६१
की धारा २२ (१) के अंतर्गत प्रदत्त

क्रमांक उत्तर प्रदेश ११२६ सन् १९९८

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/कुमारी/श्रीमती रघुनाथ कुमार वर्मा
आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री रम अक्षय वर्मा
जिला ऐडवोकेट करनगर आज की तिथि से उत्तर प्रदेश बार कौसिल
के अन्तर्गत ऐडवोकेट स्वीकृत किए गए तथा उनका नाम ऐडवोकेट्स
अधिनियम, १९६१ की धारा १७ के अधीन बार कौसिल द्वारा
अनुसंक्षित ऐडवोकेट पंजिका में अंकित कर लिया गया।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक १५ जून १९९८ को बार कौसिल
द्वारा मुद्रांकित तथा मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रदान किया गया।

इलाहाबाद

इस प्रमाण-पत्र के अंगस्वरूप मुद्रांक शुल्क
हेतु रु २५०/- का मुद्रांक-पत्र एतत्सह संलग्न है।

(मुन्ना चतुर्वेदी)

कायंबाहुक सचिव

बार कौसिल आफ उत्तर प्रदेश

Attested

अभियोजन अधिकारी

बाबूमऊ

Request - 139

LUCKNOW UNIVERSITY

JAI NARAYAN DEGREE COLLEGE

Enrolment No.

Roll No. F 3870645

No.

1976



LUCKNOW

Dated 23.12.95 19

Statement of Marks—LL.B. (Third Year) Examination of 1995

Name.... Rananjay Kumar Verma

Paper	Civil Procedure Code Code Pleading Conveyancing and Limitation	II Legal Remedies	III Law of Evidence & Criminal Procedure	IV Land Law in Uttar Pradesh	V.(a) Labour Law	V.(b) Taxation	V.(c) Adminis- trative Law	RESULT in Division	Also Passed in Taxation/ Adminis- trative Law
	Civil Procedure Code & Court Rules & Pleadings Conveyanc- ing & Limitation	Remedies Under Private Law and Remedies under Public Law	Evidence- Relevancy & Proof & Evidence Criminal Procedure Production & effect of Evidence on Criminal Procedure	Zamindari Abolition and Land Reforms and Revenue	Law Relating to Labour Management Relation and Social Security Legislations	Sales, Tax, wealth and Gift and Tax on Income	Nature and Managing of Adminis- trative Law and Adminis- trative Adjudication	Aggregate of LL. B. III year	
Maxi.	100	100	100	100	100	100	100	600	1700
Mini.	30	30	30	30	30	40	40	288	816
Marks obtained	50	53	56	55	53	49	267	314	310
								891	891

REMARKS

- (1) Minimum Marks for 1st Division 300
- (2) Minimum Marks for 2nd Division 240
- (3) Minimum Pass Marks in each subject 30%

Note—The marks as entered in the University Marks Register, shall be final in case of any discrepancy, between the marks-sheet issued and the Marks Register in the University.

(E. & O. E.)

Prepared by :

1..... *H. Verma*

Compared and Checked by :

1..... *R. C. M. J.*2..... *D.*for REGISTRAR,
Lucknow University.

Affected
11.5.09
अभियोजन अधिकारी
उद्धनक

request-139

Phone -0522-2622307

OUDH BAR ASSOCIATION

Founded in 1901

A society registered under The "Societies Registration Act , 1860"

High Court, Lucknow

Dated: 11-05-2009

To Whom It May Concern

This is certified that Rananjay Kumar Verma
Advocate S/O Ram Akashayaver Verma
R/O 14/1190, Indira Nagar, Lucknow, (U.P.).

-----is practicing in this Hon'ble High Court
since 1996. His Enrolment Number with the Bar Council of
U.P. Allahabad is U.P.1127/96 dated 15-02-96.

He is a regular member of Oudh Bar Association. He has
never been involved in any subversive activities. He bears good
moral character, I wish him all success in his life.

R.P.M
President/ Secretary 11/5/2009
General Secretary
Oudh Bar Association
Lucknow

S.V.S.Rathore, H.J.S.
Registrar



request-139

Lucknow Bench,
Lucknow.

Dated:13-05-2009.

CERTIFICATE

On the basis of certificate dated: 11-05-2009, issued by Sri Rajendra Prasad Mishra, General Secretary, Oudh Bar Association, High Court, Lucknow Bench, Lucknow, this is to certify that Sri Rananjay Kumar Verma, (Enrollment NO. U.P.-1127/96, dated: 15-02-1996), who is a practicing advocate of this Hon'ble High Court, bears good moral character.

He is not related to me.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S.V.S. Rathore".

(S.V.S. RATHORE)
REGISTRAR


Request - 139

चरित्र प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजय कुमार वर्मा
 पुत्र श्री राम अभ्यवर वर्मा निवास स्थान ग्राम - बद्रगढ़पुर
 पोस्ट - बसखारी, जिला - अन्धेड़कर नगर (उ० प्र०)
 को मैं पिछले 12 (बारह) वर्षों X
 से अधिक जानता हूँ कि आपका चरित्र बहुत उज्ज्वल है और आपका ऐसा
 कोई कार्य नहीं है जिससे आप किसी कार्य से वंचित किये जायें।

श्री रणजय कुमार वर्मा से मेरा कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है।

दिनांक 11. 5. 09

हो 

पद डॉ. अभ्यवर वर्मा (आधिकारी)

स्टैम्प अभियोजन विभाग


request-139

चरित्र प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजय कुमार वर्मी
पुत्र श्री श्री अश्विनीवर वर्मी निवास स्थान श्रीमं बुद्धनापुर
पा० बसरवारी लिला अमृकेंद्रकन्तर
को मैं पिछले १२ वर्षों वर्षों परिवारिक
से अधिक जानता हूँ कि आपका चरित्र बहुत उज्जवल है और आपका ऐसा
कोई कार्य नहीं है जिससे' आप किसी कार्य से वंचित किये जायें।

श्री रणजय कुमार वर्मी से मेरा कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है।

दिनांक 9-05-09

हॉ Chaudhary
पद Chaitanya Chaudhary
Standing Counsel
स्टैण्डिंग कॉउन्सल ऑफिसर
High Court, Lucknow, India

48109301822

Request - 139

उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी रणजपत कुमार वर्मा
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राम इनकापवर वर्मा निवासी श्रीतिवारपुर (बुढ़नापुर)
 पी० ०० बालाकरी, तहसील टाष्टा
 नगर..... X जिला डिक्टेक्टर करनगर उत्तर प्रदेश राज्य की
 कुमी पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश (लोक
 सेवा) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण (अधिनियम 1994) यथा
 संशोधित अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी रणजपत कुमार वर्मा
 पूर्णोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित की अनुसूची दो) जैसा कि उ०प्र० के लोक सेवा (अनुसूचित
 जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण) संशोधित अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित
 किया गया है एवं उ०प्र० के लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के
 आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से अच्छदित नहीं है तथा इन के माता पिता
 की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है। तथा
 इनके पास धन कर अधिनियम 1957 में यथा विहित पुष्ट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी रणजपत कुमार वर्मा तथा अथवा उनका
 परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम श्रीतिवारपुर (बुढ़नापुर) तहसील टाष्टा
 नगर..... X जिला डिक्टेक्टर करनगर
 में सामान्यता रहता है।

स्थान :- ठाठापुर
ठाठापुर

हस्ताक्षर

दिनांक :- १५/०५/१९

पूरा नाम

मुहर

पद नाम

Attached

11-5-09

जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी
 सिटी मजिस्ट्रेट उपजिला अजिस्ट्रेट/तहसीलदार

अभियोजन अधिकारी
खनक




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

72AA 777043

BEFORE- REGISTRAR (SELECTION & APPOINTMENT)

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.

AFFIDAVIT



I, Rananjay Kumar Verma aged about 37 years, s/o Ram Akashayaver Verma r/o village Budhnapur (Motigarpur) Post Baskhari, District Ambedkar Nagar (U.P.) do hereby solemnly affirm and state as under-

1. That the deponent is not in any employment and continues to practice at the Bar.

Vijai Pratap Singh
Advocate & Notary
134/146, Bashiratganj, Lucknow
Reg. No. 31 (46)/2000

Lucknow

Dated - 15.12.08

Notary

Rananjay Kumar Verma
Deponent.

request-139

9493

लाल सुल्तानी द्वारा दिया गया दस्तावेज़ की विवरण ७५=125+09

लाल्य क्रय करने का प्रयोजन

लाल्य हेता का नाम बूरा गता

31-१९५४ (मा)

स्थान परीक्षन राशि

10/-

हैदर हुसैन

प्रधानमंत्री नं 11 लाल्य की अवधि 10/-
प्रधानमंत्री नं 10/-

मुख्यमंत्री नं 10/- लाल्य की अवधि 10/-

मुख्यमंत्री नं 10/- लाल्य की अवधि 10/-

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नं 10/- लाल्य की अवधि 10/-

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री

request-139

- 2 -

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify
that the contents of paras- 1 to 6 of this affidavit is
true and correct to the best of my own knowledge.

Signed and verified today at civil court, Lucknow.



Lucknow

Dated-

15.12.09

Ramanjay Kumar
Deponent. Kurna

J.E. Adv
15/12/09

Seen and Verified

Date : 15.12.09

15.12.09

Vijai Pratap Singh
Advocate & Notary
134/146, Bashiratganj, Lucknow
Reg. No. 31 (46)/2000
03.15 PM



हाई स्कूल परीक्षा, १९८७

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् के अभिलेखानुसार

RANANJAY KUMAR VERMA

आत्मसं श्रा. RAM AKASHAYAVER VERMA

नियनको जन्मतिथि

10TH DECEMBER NINETEEN HUNDRED SEVENTY TWO

10.12.72

हे, मार्च/अप्रैल, १९८७ की हाईस्कूल परीक्षा निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तीर्ण की है :—

विषय :—

1 HINDI

2 ENGLISH

3 MATHEMATICS TWO

4 SCIENCE-TWO

5 SOCIAL SCIENCE

6 BIOLOGY

CATEGORY OF MORAL EDUCATION-B

उत्तीर्ण श्रेणी FIRST

विद्यालय/केन्द्र : K P HINDU INTER COLLEGE PRATAPGARH

प्र. क्रमांक

2700173

हुलाहाबाद,

दिनांक

22ND JUNE, 1987

महानन्द मिश्र

(महानन्द मिश्र)

संचित

'D' का लार्थ सम्पन्न विषय में 'विशेष योग्यता' है।

'HONOURS' का लार्थ, 'सम्मान सहित उत्तीर्ण' है।

धैर्य :— विषय का पूर्ण विवरण पृष्ठ भाग पर अंकित है।

Attested

Rananjay Kumar Verma

20/12/2009

17.12.09

अधियोजन अधिकारी
सचिव

द्वितीय प्राप्तांक-पत्र
हाई स्कूल परीक्षा, १६ दंड

८० रु० १४९

request-139

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
(बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एज्यूकेशन, उत्तर प्रदेश)

संस्था रु० ५० हा०

दिनांक

५८८३१०

वी. २०१३ संख्या २०१३ वर्ष
हाई स्कूल मुख्य पूरक अध्योग्यिक (ट्रिक्सल) परीक्षा, १९८७ में विभिन्न विषयों में प्राप्ति सिद्धित
अंक प्राप्त किये :—

विषयों के नाम	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र	योग	प्रयोगात्मक	योग	पूर्णांक
१- वैद्यी	२४	२३	२५				६३	१००
२- गणित	३२	३०					६२	१००
३- वाल्फ्रेड	२६	२५					५१	१००
४- विज्ञान	२३	२३			२०	८८	१००	
५- इतिहास	३४	३३				६६	१००	
६- भाषा	२२	२४			१६	८२	१००	
७-								

सम्पूर्ण योग (अंकों तथा छव्वों में)

३२४१९० रु० ५० वाईसी नम
परीक्षालं प्रथम नं० ३०००

टिप्पणी—विषय के अंकों तथा सम्पूर्ण योग में जिसमें परीक्षार्थी असफल है, चक्र ढाना है।

प्राप्ति सिद्धित
सहायक सचिव, ७/८
सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा प्रशिक्षण विभाग के सदस्य,
इलाहाबाद विधायिका वाराणसी

रु० ५० रु० ५० रु० (वा०) — ८८ रु० ५० प० — २३-११-१९५४-४०,०००।

Ramangay Kumar Verma
20/12/2009

Attested

17/12/09

अभियोजन अधिकारी
लखनऊ

७/८-९६

0579456

अनुक्रमांक

334044



इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९८९

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् के अधिलेखानुसार

RAMANJAY KUMAR VERMA

आत्मज श्री RAM AKASHAYBER VERMA

इण्टरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित विषय के अनुसार उत्तोर्व की है -

1 GENERAL HINDI

2 ENGLISH

3 MATHEMATICS

4 PHYSICS

5 CHEMISTRY

उत्तीर्ण श्रेणी

SECOND

विद्यालय/केन्द्र K P HINDU INTER COLLEGE PRATAPGARH

प्रमाण पत्र क्रमांक

इलाहाबाद

दिनांक

P01572

REGULAR

31/05/1989

42/029/00599

महानन्द मिश्र

(महानन्द मिश्र)

संचित

'D' का अर्थ सम्पन्न विषय में "विशेष योग्यता" है।

'HONOURS' का अर्थ "सम्पन्न सहित उत्तीर्णी" है।

टॉप - विषय का पूरी विवरण फूल भाग पर अंकित है।

Ramanjay Kumar Verma Attested
20/12/2009

17/12/09

अभियोजन अधिकारी
बबन्द

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, द्वारा संचालित १९८९ की इन्टरमीडिएट परीक्षा में
निम्नलिखित परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण :-

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम
334044 RANANJAY KUNAR VERMA
विद्यालय/केन्द्र का नाम
K P HINDU INTER COLLEGE PRATAPGARH

वर्ग क्रमांक
81 P01011
परीक्षा प्रवर्ग, संस्था/व्यक्ति
FULL EXAM REGULAR

विषय	अधिकृतम् अंक	न्यूकृतम् अंक	प्रश्न-पत्रवार प्राप्तांक	योग	सम्पूर्ण योग एवं परीक्षाफल
GENERAL HINDI	100	33	1/20 2/23 3/16	59	287/500
ENGLISH	100	33	1/27 2/25	52	PASSED
MATHEMATICS	100	33	1/12 2/19 3/20	51	SECOND DIV
PHYSICS	100	33	1/22 2/16 038 P/29	67	
CHEMISTRY	100	33	1/16 2/17 033 P/25	58	

जाचकर्ता के हस्ताक्षर १०१०००
दिनांक ५.६.०९

प्रधानाचार्य
के हस्ताक्षर }
मुहर

प्रधानाचार्य

केवल हिन्दू कला एवं संस्कृत

कलाकार, उत्तर प्रदेश,


Attested

17.12.09

अभियोजन अधिकारी
लखनऊ

Rananjay Kumar Verma
20/12/2009

request-139



Bachelor of Arts

Enrolment No. U8921770

Roll No. 101024

This is to certify that Rananjai Kumar Verma
Son/Daughter of Sri/Smt. R. A. Verma
of University of Allahabad

obtained the degree of Bachelor of Arts in this University
in the Examination of 1992; and that he/she was placed
in the Second class.

The subjects in which he/she was examined were:

B. A. PART I and B. A. PART II

1. English Literature
2. Philosophy
3. Political Science

B. A. PART III

1. Philosophy
2. Political Science

Attested

University of Allahabad:

The 23rd Feb; 1997

Rananjai Kumar Verma
20/12/2009
17/2/97
अभियोजन अधिकारी
लखनऊ

W. S. J.
Vice-Chancellor.

ମେହା ମିଶନ୍ସମ୍ପଦ



श्रीमः रणजाय कुमार वर्मा

इस विश्वविद्यालय के विधि संकाय में बैचलर ऑफ लॉज की उपाधि हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया और निम्नलिखित विषयों की अपेक्षित परीक्षा में सन् १९६४ में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए/हुई।

- (1) इण्डियन लीगल एण्ड कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री (2) लॉ ऑव कार्यक्रम (3) लॉ ऑव टॉर्ट्स
 (4) इंटरनेशनल लॉ (5) कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ ऑव इण्डिया (6) पार्टनरशिप निगोशियेबिल
 इन्स्ट्रुमेण्ट्स एण्ड सेल ऑव गुद्स (7) लीगल थ्योरी एण्ड कम्परेटिव लॉ (8) हिन्दू लॉ (9) कम्पनी
 लॉ (10) मोहम्मडन लॉ (11) ट्रान्सफर ऑव प्राप्ती एक्ट ऐण्ड ईज़्मेण्ट्स (12) लॉ ऑव क्राइम्स
 (13) सिविल प्रोसीजर कोर्ट रूल्स, प्लीडिंग्स, कन्वेयन्सिंग ऐण्ड लिमिटेशन (14) लीगल रेमिडीज
 (15) लॉ ऑव एविडेन्स ऐण्ड क्रिमिनल प्रोसीजर (16) लैण्ड लॉ इन यू०पी० (17) लेबर लॉज़ अधिका
 लॉ ऑव टैक्सेशन अधिका एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर अधिका प्राइवेट इन्टरनेशनल लॉ।

अमृतः प्रमाणित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें बैचलर ऑफ लॉज की उपाधि प्रदान की गयी।

गयी। Ramenji Kumar Singh Affected
S.P.T. OF LUCKNOW 16/12/2009 UNIVERSITY OF LUCKNOW
JOKNOW लखनऊ विश्वविद्यालय 20/12/2009 UNIVERSITY OF LUCKNOW
दिनांक 16/12/2009 दिनांक 20/12/2009
RISITY OF LUCKNOW लखनऊ विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF LUCKNOW
अभियोजन अधिकारी लखनऊ

कुलपति योगी देवेश कुमार

request-139

LUCKNOW UNIVERSITY

JAI NARAYAN DEGREE COLLEGE

Enrolment No.....

Roll No F 3870 645

No.

1976



LUCKNOW

Dated 23.12.95. 19

Statement of Marks—LL.B. (Third Year) Examination of 1995

Name.... Rananjay Kumar Verma

Paper	I Civil Procedure Code Pleading Conveyancing and Limitation	II Legal Remedies	III Law of Evidence & Criminal Procedure	IV Land Law in Uttar Pradesh	V (a) Labour Law	V (b) Taxation	V (c) Administrative Law	RESULT in Division	Also Passed in Taxation/ Administrative Law
Maxi.	Civil Procedure Code & Court Rules & Pleadings Conveyancing & Limitation	Remedies Under Private Law and Remedies under Public Law	Evidence Relevency & Proof & Evidence Criminal Procedure Production & effect of Evidence on Criminal Procedure	Zamindari Abolition and Land Reforms and Revenue	Law Relating to Labour Management Relation and Social Security Legislations	Sales Tax, wealth and Gift and Tax on Income	Nature and Managing of Administrative Law and Administrative Adjudication	Aggregate of LL. B. III year	Passed ✓
Mini.	100	100	100	100	100	100	100	600	Failed
Marks obtained	50	53	56	55	53	49	267	314	Eligible for BP

REMARKS

- (1) Minimum Marks for 1st Division 300
- (2) Minimum Marks for 2nd Division 240
- (3) Minimum Pass Marks in each subject 30%

Note—The marks as entered in the University Marks Register, shall be final in case of any discrepancy, between the marks-sheet issued and the Marks Register in the University.

(E. & O. E.)

Prepared by :

1..... *Rajput*.....

Compared and Checked by :

1... *R.K. Patnaik*.....2... *BD*.....for REGISTRAR,
Lucknow University.

Attested

17/12/09
17/12/09
अभियोजन अधिकारी

लखा

Rananjay Kumar Verma
20/12/2009



ऐडवोकेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र

ऐडवोकेट्स अधिनियम, १९६१
की धारा २२ (१) के अंतर्गत प्रदत्त
क्रमांक उत्तर प्रदेश ११२६ सन् १९९८

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/कुमारी/श्रीमती राणी जया कुमार वर्मा
आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री राम अचायक वर्मा
जिला अम्बेडकर नगर आज की तिथि से उत्तर प्रदेश बार कॉर्सिल
के अन्तर्गत ऐडवोकेट स्वीकृत किए गए तथा उनका नाम ऐडवोकेट्स
अधिनियम, १९६१ की धारा १७ के अधीन बार कॉर्सिल द्वारा
अनुरक्षित ऐडवोकेट पंजिका में अंकित कर लिया गया।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक १५ दिसंबर १९९८ को बार कॉर्सिल
द्वारा मुद्रांकित तथा मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रदान किया गया।

इलाहाबाद

इस प्रमाण-पत्र के अंगस्वरूप मुद्रांक गुल्क
में रु २५०/- का मुद्रांक-पत्र एतत्सह संलग्न है।

Attested

17.12.09

(मुन्जल चतुर्वेदी)
कार्यालय तथा
बार कॉर्सिल आफ उत्तर प्रदेश

अभियोजन अधिकारी
लखनऊ

Ramayya Kumar Verma
20/12/2009

उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी रणजपत कुमार बसी...
 पुत्र/पुत्री/पित्री/स्त्री राम द्वारा प्रवर् कमी निवासी भोलेश्वर पुर (बुद्धनगर)
 पी.वे. बहारी, तहसील दापड़ा
 नगर..... X जिला उत्तर बंदर करनगर उत्तर प्रदेश राज्य की
 कमी पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश (लोक
 सेवा) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण (अधिनियम 1994) यथा
 संशोधित अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी रणजपत कुमार बसी...
 पूर्योक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित की अनुसूची दो) जैसा कि उ०प्र० के लोक सेवा (अनुसूचित
 जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण) संशोधित अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित
 किया गया है एवं उ०प्र० के लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के
 आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से अच्छदित नहीं है तथा इन के माता पिता
 की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है। तथा
 इनके पास धन कर अधिनियम 1957 में यथा विहित पुष्ट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी रणजपत कुमार बसी... तथा अथवा उनका
 परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम भोलेश्वर पुर (बुद्धनगर) तहसील दापड़ा
 नगर..... X जिला उत्तर बंदर करनगर....
 में सामान्यता रहता है।

स्थान :- *टाडोप*
17/01/09

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

5/05/1909

पूरा नाम.....

मुहर :-

Attested

पद नाम.....

17/01/09



लभियोजन अधिकारी
 जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी
 लखनऊ सिटी मार्जिस्ट्रेट उपजिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

Kamal Singh
20/12/2009

समक्ष अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य 8294



विजित कुमार
कुमार
नं० ५४१०९९०८२९४
डिक्टेशनरी

निवास प्रमाण-पत्र

५४१०९९०८२९४

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी राम अंजप कुमार वर्मा
पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी श्री राम अंजप वर्मा
निवासी मकान नं० ५२७ ग्राम/मोहल्ला मौतिगंगपुर (बुढ़नापुर)
थाना बसठारी जनपद उन्नीष्ठकरनगर
उत्तर प्रदेश का/की निवासी व उसका वर्तमान पता—ग्राम-मौतिगंगपुर
बुढ़नापुर पोन-बसठारी, जनपद-अम्बेडकरनगर है।

1. उपर्युक्त की वृद्धि प्रारूप में आवेदन एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे
संतुष्ट हो जाने उपरान्त अधोहस्ताक्षर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने आईनली
एवीडेन्ट (विषयक) प्रमाण-पत्र का निर्गत किया जा रहा है।

ह० लेखपाल
दिनांक

(११)१०९

सहस्रलिङ्ग

दाका

कृते जिलाधिकारी



ह० भूलेख निरीक्षक
ह० मुहर दिनांक

Attested

अधिकारी अधिकारी

नोट—उपर्युक्त प्रमाण-पत्र किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश अथवा लिखित संयायाज्ञन हेतु आवेदन करने के लिए ही
केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने को कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि
नागरिकता का विषय दि सिट जयशिंप ऐक्ट 1995 से स्पष्ट रूप प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के
विचार क्षेत्र का विषय है यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह हो अथवा इस विचार किया जाना हो
तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा। जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ
प्रेषित कर दिया जायेगा।

request-139

From,

A.K. Bose, HJS
Registrar (Selection & Appointment),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

Sri Rananjay Kumar Verma Roll No.: 5046
14/1190, Indira Nagar
Lucknow

No. 600 /S & A Cell/2009

Dated: Allahabad : July, 24 2009

Sir,

It is to inform you that you have been provisionally permitted to appear in the Preliminary Examination for 'Direct Recruitment to the U.P. Higher Judicial Service, 2009' and have claimed reservation under Other Backward Class Quota. As such, you are now required to submit following documents for further consideration of your candidature for Main Examination, under OBC quota:

1. Domicile Certificate of U.P.
2. Income Tax Return for last three years
3. Your declaration on a Notary Affidavit to the effect that you do / do not fall under the purview of Creamy Layer and not covered under any clause in Schedule – II of 'The Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Scheduled Castes, Scheduled Tribes And Other Backward Classes)Act 1994 as amended up-to-date.

You are, therefore, requested to submit the above-mentioned documents along with Notary affidavit in the office of Selection & Appointment, High Court, Allahabad on or before 31st August, 2009, positively.

Yours faithfully,

(Alok Kumar Bose)

request - 139



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

54AA 385794

BEFORE REGISTRAR (SELECTION & APPOINTMENT)

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.

AFFIDAVIT

I, Rananjay Kumar Verma, aged about 37 years, s/o Ram Akashayaver Verma, r/o village Motigarpur (Budhnapur) Post Baskhari, District Ambedkar nagar (U.P.) do hereby solemnly affirm and state as under-

- That the deponent does not fall under the purview of creamy layer and not covered under any clause, in Schedule-II, of 'The Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribes

32/8/2009
Rogendra Kumar Saha
Advocate, NOTARY
1086, Sadar Bazar
Lucknow-2

request-139

-2-

and other backward classes) Act 1994 as amended upto date.

2. That the deponent is not the income tax assessee.

Lucknow

Dated- 27.8.09

Ramrajy Kumar
Verma

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of para- 1 to 2 of this affidavit are true to my own knowledge.

Signed and verified today at civil court, Lucknow.

Lucknow

dt. 27.8.09

Ramrajy Kumar
Verma

Deponent.

SWORN & VERIFIED
before me

22.8.2009
Yogendra Kumar Sahi
Advocate, NOTARY
1086, Sadar Bazar
Lucknow-2

I certify the deponent who
has signed att/T.I. before me

Dharmendra
27/08/09

समक्ष अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य

8294



निवास प्रमाण-पत्र

५८१०९९०८२७४

निवास प्रमाण-पत्र
केन्द्रीय सरकार
उत्तर प्रदेश के लिए

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी राम अंजप कुमारवर्मा
पुत्र/पुत्री/प्रति/पत्नी श्री राम अंजपबर वर्मा
निवासी मकान नं ०२२७ ग्राम/मोहल्ला मोतिहरपुर (बुढ़नापुर)
थाना बसघारी जनपद अम्बिडकरनगर
उत्तर प्रदेश का/की निवासी व उसका वर्तमान पता—ग्राठ-मोतिहरपुर
(बुढ़नापुर) पो०-बसघारी, जनपद-अम्बिडकरनगर है।

१. उपर्युक्त की दृष्टि प्रारूप में आवेदन एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे
संतुष्ट हो जाने उपरान्त अधोहस्ताक्षर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने आईनली
एवीडेन्ट (विषयक) प्रमाण-पत्र का निर्गत किया जा रहा है।

ह० लेखपाल *Adt*
दिनांक (११)८०९

महाराजा
दामा
कृते जिलाधिकारी
Held
27.8.09



ह० भूलेख निरीक्षक
ह० मुहर दिनांक

नोट- उपर्युक्त प्रमाण-पत्र किसी दौकिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी संवायोजने के लिए ही
केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने को कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि
नागरिकता का विषय दि सिट जयशिंप ऐक्ट 1995 से स्पष्ट रूप प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के
विचार केंद्र का विषय है यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न यिन्हे हो अथवा इस विचार किया जाना हो
तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा। जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ
प्रेषित कर दिया जायेगा।

उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... २०१० जप. कुमार वर्मा.....
पुत्र/पुत्री/पुत्री श्री. राम द्वारा प्रवर्तक स्थानीय निवासी... ट्रॉटेगढ़ पुर (बुद्धनापुर)
पोइंट... बाहुबाई, तहसील... दाष्टा
नगर..... X..... जिला... डिक्टेक्टर करनगर..... उत्तर प्रदेश राज्य की
कुमारी..... पिछड़ी जाति के व्यवित हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश (लोक
सेवा) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण (अधिनियम 1994) यथा
संशोधित अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... २०१० जप. कुमार वर्मा.....
पूर्वोत्तर अधिनियम 1994 (यथा संशोधित की अनुसूची दो) जैसा कि उ०प्र० के लोक सेवा (अनुसूचित
जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण) संशोधित अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित
किया गया है एवं उ०प्र० के लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के
आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से अच्छदित नहीं है तथा इन के मात्रा पिता
की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है। यथा
इनके पास धन कर अधिनियम 1957 में यथा विहित पुष्ट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी... २०१० जप. कुमार वर्मा..... तथा अथवा उनका
परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम... ट्रॉटेगढ़ पुर (बुद्धनापुर)... तहसील... दाष्टा
नगर..... X..... जिला... डिक्टेक्टर करनगर.....

में सामान्यता रहता है।

स्थान :- *Finance*
21/05/09

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

9/05/09

पूरा नाम.....

मुद्रा :-

Attached

पद नाम.....

जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी
भियोस्टी बिस्ट्रेट उपजिला भिस्ट्रेट/तहसीलदार

27.8.09

5-5-09